



क्रमांक प. 1(1)(91)/मअ/स्था/ 2015/पार्ट/

जयपुर, दिनांक :

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत मुख्यालय पर 01 एवं कार्यालय उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला बारां एवं कोटा प्रत्येक में 01 कम्प्यूटर संबंधी कार्यों को सुचारु रखने की दृष्टि से मैन विद मशीन RTPPA ACT एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 28.02.2022 तक के लिए हायर किये जाने की स्वकृति प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162100372 दिनांक 30.03.2021 की सहमति के अनुसरण में जारी की जाती हैं।

— sd —

(रश्मि गुप्ता)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक प. 1(1)(91)/मअ/स्था/ 2015/पार्ट/12962-57

जयपुर, दिनांक : 7-4-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला बारां एवं कोटा।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

(2)

आयुक्त

महिला अधिकारिता